

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2022—चैत्र 16, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

क्र. एफ 2-13-22-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.14	जॉबकार्ड की मांग.	ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव, ग्राम पंचायत.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि. पं.
16.15	मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग.	ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव, ग्राम पंचायत.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि. पं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.16	जॉबकार्डधारी मजदूर को रोजगार की मांग करने पर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता.	ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव, ग्राम पंचायत.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि. पं.
16.17	विभाग के निर्देश क्र. 2976/NR-10/MGNRE GS-MP/2018 दिनांक 04-05-2018 के तहत मस्टररोल अनुसार मजदूरी का भुगतान आदेश (FTO) जारी करना.	विहित प्राधिकारी	08 दिवस	विहित प्राधिकारी.	15 दिवस	विहित प्राधिकारी.

क्र. एफ 2-14-22-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.37	अशासकीय सेवा के प्रयोजन हेतु चरित्र सत्यापन यदि व्यक्तिविगत 05 वर्ष में एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो).	उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा).	45 कार्य दिवस	अति जिला पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	15 कार्य दिवस	जिला पुलिस अधीक्षक
11.38	किरायेदार/नौकर का यदि सत्यापन व्यक्तिविगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक से अधिक थाना क्षेत्र में निवासरत रहा हो).	उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा).	45 कार्य दिवस	अति जिला पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	15 कार्य दिवस	जिला पुलिस अधीक्षक
11.39	किरायेदार/नौकर का यदि सत्यापन व्यक्तिविगत 05 वर्ष में एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो).	उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा).	45 कार्य दिवस	अति जिला पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	15 कार्य दिवस	जिला पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.40	विदेशों में अध्ययन एवं रोजगार के प्रयोजन हेतु विदेश जाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों जन्म (प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र का सत्यापन).	अवर सचिव, म. प्र. शासन, गृह विभाग.	07 कार्य दिवस	उपसचिव, म. प्र. शासन गृह विभाग.	07 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.41	अवर्जित बोर के शस्त्र अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिधारी का पता परिवर्तन हेतु आवेदन.	जिला दण्डाधिकारी.	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.42	अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस में शस्त्र जोड़ना हटाना.	जिला दण्डाधिकारी.	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.43	शस्त्र लायसेंसधारी द्वारा संबंधित जिला से अन्यत्र जिला में निवास परिवर्तन की स्थिति में अनुज्ञप्ति का नवीन जिले में ट्रांसफर हेतु अनुज्ञप्ति जारीकर्ता जिले से एनओसी.	जिला दण्डाधिकारी (अनुज्ञप्ति जारीकर्ता जिला).	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.44	एडिवरटिस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 कि. ग्रा. से अनाधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिवरटिस कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.45	वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 कि. ग्रा. अनाधिक, 200 से अनाधिक विद्युत या सामान्य विस्फोट प्रेरक, 100 से अनाधिक विस्फोटक प्रेरक फ्यूज और संपीडक माउंटेड मोटर ट्रक या ट्रेक्टर से कुंए में उपयोग के लिए 200 मीटर से अनाधिक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिए कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.46	लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.47	किसी एक समय 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध-नाईट्रो-कंपाउंडों के कब्जे और बिक्री दुकान से संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.48	किसी एक समय वर्ग 7, खण्ड 2, उप-खण्ड-2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चोरसा पटाखे या स्पार्कलस के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.49	किसी एक समय वर्ग 6, प्रभाग-1 के 2000 से अनधिक आतिशबाजी युक्तविस्फोटकों के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.50	100 किलोग्राम से अधिक परन्तु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक परन्तु 1200 किलोग्राम से अनधिक चोरसा पटाखे या स्पार्कलस के कब्जे और किसी दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग.
11.51	ममें पंजीकृत प्र. निजी सुरक्षा एजेन्सी के लायसेंस का नवीनीकरण.	नियंत्रण प्राधिकारी, मदिवसनिजी प्र. सुरक्षा एजेन्सी.	45 कार्य दिवस	सचिव, गृह	30 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव, गृह.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.